



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन
संख्या - 235 / 2026

रामअवध @ राम अवध

बनाम

..... आवेदक

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से सचिव गृह, लखनऊ
एवं 2 अन्य

..... प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अमित रंजन मिश्रा
प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, धीरेन्द्र कुमार अग्निहोत्री

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख (रिकॉर्ड) में रखी सामग्री का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक ने प्राथमिकी/वाद अपराध संख्या 0825/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के अंतर्गत, थाना - मोहम्मदी, जिला - लखीमपुर खीरी के संबंध में दायर की है।
3. दिनांक 09.02.2026 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय ने आवेदक के हितों की रक्षा की थी। दिनांक 09.02.2026 का आदेश, जिसका सन्दर्भ दिया गया है, इस तरह है :-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित रंजन मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.पी. तिवारी को सुना तथा अभिलेख (रिकॉर्ड) का अवलोकन किया।

2. यह वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक ने प्राथमिकी/वाद अपराध संख्या 0825/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के अंतर्गत, थाना - मोहम्मदी, जिला - लखीमपुर खीरी के संबंध में दायर की है।

3. इस वर्तमान आवेदन पर विचार करने तथा आवेदक को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इस न्यायालय ने इन बातों पर विचार किया :

- (i) आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है;
- (ii) सह-अभियुक्त मंगेशा, जो कारागार में है, का विवाह रामजीत (मृतक) के साथ हुआ था;
- (iii) मृतक रामजीत की मृत्यु 30 सितंबर, 2025 को उसके अपने घर में हुई थी;
- (iv) मृतक रामजीत की मृत्यु अप्राकृतिक थी, इसलिए, पंचायतनामा की प्रक्रिया 30 सितंबर, 2025 को पूरी की गई थी;
- (v) पंचायतनामा आख्या (रिपोर्ट) में पंचायतनामा के साक्षियों ने आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vi) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 109 [साक्ष्य अधिनियम (अब निरस्त) की धारा 106 के समान] की उपधारणा सह-अभियुक्त मंगेशा के विरुद्ध है, जो पहले से ही कारागार में है;

(vii) विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.पी. तिवारी द्वारा जैसा कि बताया गया है, शव-परीक्षा आख्या (पोस्टमार्टम रिपोर्ट) से पता चलता है कि मृत्यु का कारण मृतक के सिर पर लगी चोट है, जो आवेदक के अनुसार किसी सख्त सतह/कठोर और कुंद वस्तु पर गिरने के कारण, जिसमें ईंटों/पत्थरों से बनी सख्त सतह भी शामिल है पर गिरने हो सकती है;

(viii) प्राथमिकी, घटना के दिनांक 30.09.2025 से लगभग 02 महीने के विलम्ब के बाद यानी दिनांक 29.11.2025 को दर्ज की गई थी;

(ix) साक्षियों; अवनीश पुत्र शिव नारायण और अजय पुत्र राम नाथ के बयान दिसंबर, 2025 के महीने में दिनांक 03.12.2025 को दर्ज किए गए थे, जिसमें देरी अभियोजन पक्ष की कहानी के लिए घातक है; और

(x) सूचना देने वाला घटना का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है तथा प्राथमिकी में सूचना देने वाले ने जानकारी का स्रोत नहीं बताया है।

4. ऊपर बताई गई बातों पर ठीक से विचार करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक अंतरिम सुरक्षा का हकदार है।

5. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, एक अंतरिम उपाय के तौर पर, यह प्रावधान किया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, अभियुक्त-आवेदक - रामअवध उर्फ राम अवध को इस मामले में संबंधित थाने/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के अनुसार 25,000/- रुपए की निजी प्रतिभू तथा उतने ही रुपए के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दो प्रतिभुओं के देने पर अग्रिम जमानत पर तुरंत छोड़ दिया जाए, इन शर्तों के साथ :-

- (i) कि अभियुक्त-आवेदक जब भी ज़रूरत हो, पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा तथा अन्वेषण में सहयोग करेगा;
- (ii) कि अभियुक्त-आवेदक, मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से स्वयं को रोक ले; और
- (iii) कि अभियुक्त-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

6. प्रतिवादी संख्या 3 को नोटिस जारी की जाए, जिसका जवाब जल्द दिया जाए। तीन कार्य-दिवस के भीतर कदम उठाए जाएं।

7. इस वाद को दिनांक 24.02.2026 को सेवा आख्या (सर्विस रिपोर्ट) के साथ प्रथम 20 वाद में सूचीबद्ध करें/लगाएं।

8. इस बीच, अपर शासकीय अधिवक्ता प्रति-शपथपत्र दाखिल करेंगे।

9. ऊपर बताई गई बातों के अलावा, प्रतिवादी संख्या 3, जो वाद अपराध संख्या 0825/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के अंतर्गत, थाना - मोहम्मदी, जिला - लखीमपुर खीरी के शिकायतकर्ता हैं, को भी थाना - मोहम्मदी, जिला - खीरी के थानाध्यक्ष के ज़रिए मौजूदा जमानत आवेदन के लंबित होने तथा वाद में तय दिनांक के बारे में नोटिस (सूचना) भेजा जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश के बारे में तुरंत संबंधित थानाध्यक्ष को बताएं तथा संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा अन्य प्रतिवादियों को दी गई जानकारी का प्रमाण एक शपथ-पत्र के द्वारा तब पेश करें जब वाद अगली बार सूचीबद्ध हो।"

4. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अभिलेख (रिकॉर्ड) से यह सिद्ध नहीं कर सके कि जमानत आवेदन में कोई भी ऐसा तथ्य है, जो विरोध में हो। इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए पाया कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर छोड़ा गया था। अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ऐसा कोई तथ्य भी नहीं बता सके जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक ने अन्वेषण की कार्यवाही या अन्यथा सहयोग नहीं किया है या कोई और ऐसा स्पष्ट तथ्य जो मामले के गुण-दोष पर बुरा असर डाल सकता है।
5. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, मौजूदा अग्रिम जमानत आवेदन को **स्वीकृति** दी जाती है तथा आवेदक-**रामअवध @ राम अवध** की अग्रिम जमानत को विचारण (ट्रायल) के निस्तारण तक, इन शर्तों के साथ बढ़ाया जाता है :-
- (i) कि आवेदक ज़रूरत पड़ने पर पुलिस अधिकारी से पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - (ii) कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से; मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई लालच, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से स्वयं को रोक ले या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (iii) कि आवेदक, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- (iv) कि आवेदक हर तय दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और
- (v) कि आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराया नहीं करेगा।

6. अगर कोई चूक होती है, तो अन्वेषण करने वाली संस्था, इस आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दे सकती है।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

19 मार्च, 2026

प्रीति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।